rojgar with ankit

# POLITY

Art. 19 ⇒ मूल संविधान (Original Constitution) ⇒ 7 प्रकार ⇒ स्वतंत्रता freedom
↳ In Present (वर्तमान में) ⇒ 6

Art. (19) 1 (f)
Art. 19 (1)(च) > संपत्ति का अधिकार Right to property ⇒ 44 CA 1978 द्वारा ⇒ Remove हटाया

अनुच्छेद - 19 (1) द्वारा प्रदत्त 6 मूलभूत स्वतंत्रताओं का स्थान सर्वप्रमुख है। यथा-

The Six fundamental freedoms provided under Article 19 (1) are of paramount Importance. As-

(क) वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता Art. 19 (1) (a), Art. 19 (1)(क) Freedom of Speech and Expression

Art. 19 (1) (a) → प्रेस की स्वतंत्रता freedom of press → सूचना का अधिकार Right to Information
→ चुप रहने का अधिकार To keep Silent → वाणिज्यिक भाषण की स्वतंत्रता Right to Commercial Speech
→ झंडा फहराने का अधिकार (हत पर)

rojgar with ankit

(ख) शान्तिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता Freedom of Peaceful and unarmed assembly ↳ Art. 19(1)(b), Art. 19(1)(ख)

(ग) संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता Freedom to form associations or unions ↳ सहकारी समिति ↳ Art. 19(1)(c), Art. 19(1)(ग)

(घ) भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण की स्वतंत्रता Freedom of movement within the territory of India ↳ भ्रमण की स्वतंत्रता ↳ Art. 19(1)(d), Art. 19(1)(घ)

(ङ) भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने एवं बस जाने की स्वतंत्रता Right to move ↳ Art. 19(1)(e)
Freedom to reside and settle in any part of the territory of India.

(च) कोई वृत्ति, अजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। Freedom to practice any profession, occupation trade or business ↳ Art. 19(1)(g) ↳ व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता

## दोषसिद्धि के सम्बन्ध में संरक्षण (Protection in respect of Conviction)

अनुच्छेद - 20 / Article - 20

rojgar with ankit

1. कार्योत्तर विधियों से संरक्षण [अनु० 20 (1)]
(Protection from Ex- post Facto Law) ⇒

Ex. A = अपराध (Crime) ⇒ Murder (रोहन) — 20 वर्ष — हत्या — 2014 — 40 वर्ष — 20 वर्ष

2. दोहरे दण्ड से संरक्षण [अनु० 20(2)]
(Protection from Double Jeopardy)

3. आत्म अभिशंसन से संरक्षण
[अनु० 20 (3)]
(Protection from Self- in- Crimination)

20 वर्ष — 2011 — Murder — सजा ⇒ 40 वर्ष — (2014) — 2020 — Judgement / निर्णय

1 व्यक्ति – 1 अपराध
⇓
1 बार सजा

## प्राण और दैहिक स्वतंत्रता

(Protection of Life and personal Liberty) ⇒ Right to life (जीवन जीने की स्वतंत्रता)

# अनुच्छेद – 21 / Article - 21

# शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत एक मूल अधिकार घोषित किया था। Right to education was declared a fundamental right under Article 21.

Art. 21 (A)

⇒ 86 वें संविधान संशोधन अधिनियम - 2002 द्वारा अनुच्छेद 21- क के अन्तर्गत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान कर दिया। The 86 th Constitutional Amendment Act 2002 gave the right to education the status of a fundamental right under Article 21A.

rojgar with ankit

Ex. ⇒ निजता का अधिकार [Right to privacy

⇒ निः शुल्क चिकित्सा सहायता [free Medical Help]

⇒ निः शुल्क खाद्य सामग्री [free food item/s]

⇒ शुद्ध पानी [Pure water]

⇒ विदेश जाने का अधिकार [Right to go abroad) - मेनका गांधी Vs भारत संघ
└ 1978

⇒ प्रेम विवाह / जीवन साथी चुनने का अधिकार

⇒ शिक्षा का अधिकार [Right to education]

Art 21(A)

⇒ अनुच्छेद 21-क के अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों के लिए निः शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबन्ध करेगा। According to Article 21-A, the State shall Provide free and Compulsory education for all children of the age of 6 to 14 years. शिक्षा का अधिकार
└ लागू - 1 April. 2010

## गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण

[Protection against arrest and detention]

अनुच्छेद - 22. / Article - 22

### गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के अधिकार Rights of persons arrested

1. गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार। Right to know the reasons for arrest.
2. अपनी रुचि के विधि व्यवसायी (अधिवक्ता) से परामर्श एवं बचाव का अधिकार। Right to Consult and defend a legal practioner (advocate) of one's choice.

rojgar with ankit

3. गिरफ्तारी से 24 घण्टे के अन्दर (यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर) निकटतम् मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किये जाने का अधिकार। Right to be produced before the nearest magistrate within 24 hours of arrest (excluding the time required for travel).

4. मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना 24 घंटे से अधिक समय तक अभिरक्षा में निरुद्ध न किये जाने का अधिकार Right not be detained in custody for more than 24 hours without the authority of the magistrate.